Present:- M.P.Yadava, Addl.S.J-IX, Katihar, Court No-10,
B.P.No. 568/2026, Manihari P.S. Case No.- 40/2026
Md. Fareeruddin Vs. State of Bihar

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

जनपद– कटिहार (बिहार)
B.P.No. 568/2026
Manihari P.S. Case No.- 40/2026

1. मो0 फरीरूद्दीन पिता मो0 अकरम, उ0त0 45 वर्ष
निवासी सा0 ग्रामः– अमीराबाद, थाना– मनिहारी,
जिला– कटिहार।..आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार। ....अभियोजन।
अभियोजन की ओर विद्वान अधिवक्ता अ0 स0 लो0 अभि0 श्रीः.. सरदार यशवंत सिंह।
आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्रीः...गोपाल लाल दास।
उपस्थितिः– महेन्द्र प्रसाद यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नवम् कटिहार।

Date 04-06-2026 आदेश

1. प्रस्तुत जमानत आवेदन दिनांक 15.02.2026 से काराधीन उपरोक्त अभियुक्त की ओर से दिनांक 22.05.2026 को विद्वान अधिवक्ता श्री गापोल लाल दास द्वारा सशपथपत्र नवीन वकालतनामा के साथ दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक सरदार यशवंत सिंह को प्राप्त करायी गयी है।
2. अभियोजन का संक्षिप्त केस यह है कि सूचिका इमरातुन खातून ने थानाध्यक्ष मनिहारी को एक लिखित आवेदन देते हुए कथन किया है कि मेरी ब़ड़ी बहन जहांनुर खातून की शादी वर्ष 2025 में मो0 फरीरूद्दीन के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही मो0 फरीरूद्दीन मेरे बहन के घर में रहता था। शादी के बाद से ही मो0 फरीरूद्दीन मेरे बहन की जमीन करीब 3 डिसमील 8 कड़ी को लेकर हमेशा मारपीट एवं गाली–गलौज करते रहता था, कहता था कि ये जमीन मेरे नाम से कर दो नहीं तो जान से मार दूंगा। इसी बात को लेकर आज दिनांक 13.02.2026 को दोपहर करीब 02:00 बजे दिन में मो0 फरीरूद्दीन ने मेरी बहन जहांनुर खातून का गला दबाकर हत्या कर शव को कमरे में रखकर बाहर से गेट लगाकर फरार हो गया। जानकारी होने पर मैं समाज के लोगों को खबर किया तब जन प्रतिनिधि के द्वारा थाना को खबर किया गया। मेरा दावा है कि मेरी बहन द्वारा मो0 फरीरूद्दीन को दहेज के रूप में जमीन नहीं लिखने के कारण गला दबाकर हत्या कर फरार हो गया है।
3. जमानत के बिन्दु पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री गोपाल लाल दास एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक सरदार यशवंत सिंह को सुना।
4. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि आवेदक की ओर से यह नियमित जमानत आवेदन दाखिल कर जमानत के लिए निवेदन किया गया है। आवेदक द्वारा इस नियमित जमानत आवेदन के पूर्व अन्य कोई अग्रिम अथवा नियमित जमानत आवेदन न तो विद्वान जिला एवं सत्र न्यायालय, कटिहार न ही मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 15.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक बिल्कुल निर्दोष व्यक्ति है तथा उसने कोई भी अपराध नहीं किया है। आवेदक को जमीन विवाद के कारण झूठा फंसाया गया है। मृतिका के हिस्से में प्राप्त जमीन को सूचिका एवं उसके भाई ने मृतिका के पूर्व पति से जन्में बेटी के नाम से लिखने के लिए दबाव देते थे, परन्तु मृतिका तैयार नहीं थी। घटना के दिन आवेदक नमाज पढ़ने मस्जिद गया था। इसी बीच सूचिका अपने भाई के साथ साजिश कर मृतिका की हत्या कर दी तथा झूठा आरोप लगाकर आवेदक को फंसा दिया कि मृतिका का जमीन उसे प्राप्त हो जाये। आवेदक स्थानीय व्यक्ति है। आवेदक न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तो का पालन करने के लिए तैयार है। अतः निवदेन है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाये।

Webcopy of Court Katihar

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक, कटिहार द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक के विरूद्ध अपनी पत्नी का हत्या करने का आरोप लगाया गया है, जिसके लिए वह जमानत का लाभ पाने का अधिकारी नहीं है।

6. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित है कि सूचिका इमरातुन खातून के लिखित आवेदन के आधार पर आवेदक के विरूद्ध मनिहारी थाना कांड संख्या– 40/2026 दिनांक 13.02.2026 भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 80(2) के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। कांड दैनिकी के कंडिका 10, 20, 21 में साक्षियों ने प्राथमिकी आवेदन का समर्थन किया है तथा कंडिका 32, 35, 48 के अनुसार आवेदक के विरूद्ध सूचिका की बहन जहांनूर खातून की दहेज को लेकर आवेदक द्वारा हत्या किये जाने की बात सत्य पायी गयी है। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोपरान्त आवेदक को धारा 80(2) भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत आरोपित करते हुए आरोप पत्र संख्या– 95/2026 दिनांक 12.04.2026 न्यायालय में समर्पित किया गया है। आवेदक पर आरोप है कि उसने मृतिका की जमीन को अपने नाम से करने को कहता था तथा मृतिका द्वारा जमीन को उसके नाम नहीं किये जाने पर गला दबाकर हत्या कर दिया है तथा चिकित्सक की राय में मृतिका की मृत्यु का कारण Cause of death is Asphyxia as a result of Throttiling . Time elaspsed since death & postmortem examination done is within 24 hours. पाया गया है। इस तरह आवेदक सूचिका की बहन जहांनूर खातून की गला दबाकर हत्या किये जाने का अभियुक्त है, जिसकी पुष्टि शव परीक्षा प्रतिवेदन से भी हुई है।

7. इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण विवेचन एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में आवेदक द्वारा किये गये कृत्य की गंभीरता, अपराध की प्रकृति तथा उसका समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए अभियुक्त मो0 फरीरूद्दीन को नियमित जमानत का हकदार नहीं पाता हूँ, तदनुसार आवेदक द्वारा दाखिल किया गया नियमित जमानत आवेदन दिनांक 22.05.2026 को न्यायहित में खारिज किया जाता है। कार्यालय लिपिक आदेश की प्रति संबंधित विद्वान विचारण न्यायालय को भेजें तथा अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करे।

लेखापित

(महेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्
कटिहार।

Date of Order	04-06-2026
Date of reserving order	04-06-2026
Uploading date	04-06-2026
Uploaded by	

Web copy of Civil Court, Katihar